

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

प्रतापाराम वर्ग,
बनाम
मारीयत वर्ग.

किस्म मुकदमा 225 आर.टी एक्ट

न. 03 सन् 2022

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जाती हुर

12.01.2021

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर अवकाश पर होने से पत्रावली बाद जांच प्रथम लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। अपीलांतगण के अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी एवं रेसपोडेन्टस संख्या 01 व 02 की तरफ से अधिवक्ता श्री छगनलाल मंसूरिया उपस्थित। अपील राजस्थान कार्रकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 230/2021 बअनवान मारीयत बनाम प्रतापा वर्ग, में पारित आदेश दिनांक 03.01.2022 के विरुद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने वक्त बहस उभयपक्षकारान की सहमति से परिशिष्ट "अ" पेश कर विन्दु सी,ए,बी पर 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम करने की सहमति जाहिर की। अपीलांतगण के अधिवक्ता ने बताया कि अपीलाधीन आदेश द्वारा पूर्व में तय प्रतिकर राशि पर उपरोक्त रास्ता देने हेतु वे सहमत है। अतः अपीलांतगण की अपील को लोकअदालत की भावना से स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 230/2021 बअनवान मारीयत बनाम प्रतापा वर्ग, में पारित आदेश दिनांक 03.01.2022 को अपारत किया जाकर परिशिष्ट "अ" अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में 20 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिये जाते हैं कि वह मौका फर्द दिनांक 17.12.2021 में प्रस्तावित गणना अनुमान तय क्षतिपूर्ति राशि जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार रास्ते का राजहक में नामांतरण भरकर अमल दरामद किया जावे। परिशिष्ट "अ" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

जज
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

03/01/22
31/1/22
31/1/22
2 डि।
12.1.2022

परिशिष्ट "अ"
से सहमत हूँ।
Bansari
व. अरीमान

